

4760/Bldg/Fabrication/2015/275

दिनांक 16/12/2022

भाव पत्रक / Rate Enquiry Letter

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई द्वारा निम्नितिखित कार्य के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता हैं। निफ्ट, बिना कोई कारण बताए निम्नितम या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Sealed Quotations are hereby invited by NIFT Centre, Mumbai for the following work. The undersigned reserves the right to accept or reject the lowest or all the quotations without assigning any reasons.

कार्य का नाम: निफ्ट मुंबई के प्लाट संख्या 15 खारघर, नवी मुंबई में स्थित पुरानी भवन के द्वितीय तल के कक्ष संख्या -522 में फाल्स सीलिंग लगाने का कार्य हेतु।

Name of Work: False Ceiling work at old building 2nd floor of room No.522 at NIFT Campus (plot No. 15) at Kharghar, Navi Mumbai.

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	दर (रुपये)	राशि (रुपये)
1.	Providing and fixing 12 mm thick false ceiling tiles at all heights with integral densified calcium silicate reinforced with fiber and natural filler false ceiling tiles of Size 595x595 mm of existing similar texture, design and patterns true horizontal level on the existing frame work consisting of T- sections and L sections suitably fixed according to tile size and providing & fixing of additional framework if required as per direction of Engineer-in-charge.	145	Sq. Mt.	
	जी एस टी / GST @%			
	कल योग / Net Total			

नियम एवं शर्ते / Terms & Conditions:

1) मोहरबंद भाव पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि 27 December 2022 को अपराह: 3 बजे तक

है।

Seal and signature of the Agency

Date: 16/12/2

Joint Director

Page 1 of 3

डिजाईन, मैनेजमेंट तथा टैक्नालॉजी का महाविद्यालय A Premier Institute Of Design, Management & Technology A statutory body under the NIFT Act 2006



Last date of receipt of sealed Quotation is 27/12/2022 upto 3.00 pm.

- 2) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कुल राशि के आधार पर सफल एजेंसी का निर्णय लिया जाएगा। L1 agency will be decided based on the total amount quoted by bidders.
- 3) एजेंसी को कार्य करने के लिए निफ्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत सामग्री का उपयोग करना हैं। The work shall be executed with material as approved by NIFT official.
- 4) कार्य के मूल्य/ दर, उपयोग में आने वाले सामान, किराया, परिश्रम और उपयुक्त कर सिहत उद्धृत करने चाहिए, जीएसटी के आलावा अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा | The quoted rates will be inclusive of cost of all material requires, transportation, labour and taxes as applicable, nothing shall be paid extra except GST.
- 5) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। No advance payment will be made.
- 6) एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी घटिया गुणवता वाले कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा और उस पर 3% जुर्माना लगाया जाएगा।
 Payment will not be made for any substandard quality work done by agency and 3% of penalty will be levied on it.
- 7) एजेंसी को कार्य, कार्य आदेश प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। The agency has to complete the work within 30 days after receipt of work order.
- 8) एजेंसी को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर कार्य का निष्पादन करना चाहिए और वह अपने कामगारों की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी।
 The agency should execute the work keeping safety rules in mind and will be responsible for the safety of its workers.
- 9) कार्य करने समाप्ति पर कार्य की मात्रा भिन्न हो सकती है इसलिए कार्य का भुगतान वास्तविक आधार पर बिल और पैमाइश जमा करने पर किया जाएगा।

 Quantity of work may vary at the time of execution, hence payment shall be made on actual basis on submission of bill with measurement sheet.
- 10) कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के करना होगा, इस प्रयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

 To complete the work if required any additional work same will be carry out without any additional cost, no payment made for this purpose.

Seal and signature of the Agency

Date: 16 12/22

Page 2 of 3

- 11) मापदंड के अनुसार एजेंसी द्वारा किया गए जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने के बाद जिल्हा निफट द्वारा एजेंसी को भुगतान जारी किया जाएगा।

 The payment will be released by NIFT to the agency only after the submission of proof of payment of GST made by the agency as per the criteria is received.
- 12) कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निफ्ट के अनुसार एजेंसी को कार्य की मरम्मत करनी होगी। In lieu of any defect, the work shall be repaired by the agency if NIFT desires so.
- 13) किसी भी विवाद के मामले में न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र नवी मुंबई होगा। In case of any dispute the Jurisdiction of Court will be Navi Mumbai.
- 14) प्रतिस्पर्धी मूल्य/दरों को कोट करने से पूर्व, कार्य और स्थल के भौतिक मूल्यांकन और पैमाइश के बारे में स्पष्टीकरण के लिए (यदि कोई हो तो), एजेंसी निफ्ट के अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकती है।

The Agency must visit the campus and Contact to NIFT's Official for clarifications about physical assessment of area/work to be furnished and about measurement etc. before quoting the competitive rates.

• जीएसटी मापदंडों के अनुसार लागू होगा / GST will be applicable as per norms.

क्रम	पंजीकरण का विवरण	पंजीकरण संख्या	
संख्या	Details of Registration	Registration No.	
1.	जी एस टी / GST		
2.	पैन कार्ड / Pan Card		

<u>एजेंसी का नाम और पताः</u> मैसर्स,		रंयुक्त निदेशक
दूरभाष न		
Seal and signature of the Agency	Date: 16 12 22	Joint Director